संख्या-85/2018/433/35-3-2018-1(36) /2017

प्रेषक,

राम नरायन सिंह यादव,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2018**

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक भवन के निर्माण कार्यो हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-सिद्धार्थनगर में शासनादेश सं. 59/2018/270/35-3-2018-1)36(/2017 दिनांक07मार्च, 2018द्वारा सामुदायिकभवन के निर्माण कार्यो हेतु रू. 141.94 लाख)रू .एक करोड़ इक्तालीस लाखचौरानवें हजार(मात्र की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हये उनके लियेकेन्द्रांश के सापेक्ष,प्रथम किश्त के रूप में रू. 85.18 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी । एतददवारा निम्नलिखित कार्यो की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये उनके लिये अवशेष देय,राज्यांश के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू. 56.76 लाख)रू.छप्पन लाख छियत्तर हजार) मात्र की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की,श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(धनराशि लाख रू. मे)

विकासखंड का नाम	क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन	केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि	राज्यांश के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6
		कार्यदायी संस्था-यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फार्स्टक्चर डेवलेपमेंटकारपोरेशनलि.			
बढनी	1	ग्राम बोहली में एक अदद सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	21.36	12.82	8.54
बढनी	2	ग्राम कोटिया में एक अदद सामुदायिक भवन का निर्माण	21.36	12.82	8.54

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शोहरतगढ	3	ग्राम अठकोनिया में एक अदद सामुदायिक भवन का निर्माण	21.36	12.82	8.54
बडेपुर	4	ग्राम झंगटी में एक अदद सामुदायिक भवन का निर्माण	21.36	12.82	8.54
बढनी	5	ग्राम कोटिया में एक अदद टिन शेड किसान मण्डी का निर्माण	17.57	10.54	7.03
लोटन	6	ग्राम-ठोठरी में एक अदद सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	21.36	12.82	8.54
लोटन	7	ग्राम ठोठरी में एक अदद किसान मंडी हेतु टिन शेड का निर्माण	17.57	10.54	7.03
		कुल योग	141.94	85.18	56.76

1- संदर्भित शासनादेश दिनांक 07 मार्च, 2018 की शर्ते यथावत लागू रहेगी ।

2- जिलाधिकारी द्वारा दिवतीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से सामुदायिक भवन के निर्माण कार्यो हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की ग्रयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीध्र उपलब्ध करवाया जायेगा ।

4- कार्य का निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्व ढंग से स्वीक़त लागत में ही पूरा किया जायेगा और लागत वृदिध अनुमन्य नहीं होगी।

5- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय नियम सग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तत डिजाइन/डराइग एवं तकनीकी स्वीकृतिसमक्ष स्तर से प्राप्त हेाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुये कार्यदरायी संस्थाओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-07-सामुदायिक भवनों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या: ई-5-489/दस-2017 दिनांक 28मार्च, 2018में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-85/2018/433(1)/ 35-3-2018-1(36)/2017 तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त, विभाग,उ0प्र0शासन ।
2- प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन ।
3- मण्डलायुक्त,बस्ती मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं दवितीय) इलाहाबाद ।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी,सिद्रार्थनगर ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/ग्राम्य विकास अनुभाग-2 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) बस्ती मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, सिद्धार्थनगर।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।